



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Regional Office (Central Region)



जर्ख है दीदाती ।  
बहँ है चूशताती ॥

केन्द्रीय भवन, पचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimofrko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/दिल्ली/04/01/2017/एफ.सी/364

दिनांक-27.08.2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन)  
दिल्ली राज्य सरकार,  
छठवा स्तर, सी-अनुभाग,  
दिल्ली सचिवालय, आई०पी० इस्टेट,  
नई दिल्ली-110002

Online Proposal No: FP/DL/TRANS/26365/2017

विषय: **Diversion of forest area for construction of LILO of both circuit Bamnauli Samaypur 400 KV D/C Transmission Line at Tughlakabad sub station.**

सन्दर्भ: अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, दिल्ली का पत्रांक-11(26)/पीए/डीसीएफ/95/आरएमबी/पार्ट-8/4602-5, दिनांक-24.08.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली का पत्रांक-11(26)/पी०ए०/डी०सी०एफ०/95/आर०एम०बी०/भाग-8/7112, दिनांक-21.12.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.02.2018 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार विषयांकित पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 27.68 हेक्टर आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2965 वृक्षों/पौधों के पातन एवं 1535 वृक्षों की कटाई/छटाई की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- प्रत्यावर्तित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 27.68 हेक्टर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों के अनुसार “owner ship of land would remain with DDA.....” उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय मात्र प्रश्नगत परियोजना हेतु ही निर्गत किया है आगे की परियोजनाओं में यह निर्णय लागू नहीं होगा। DDA द्वारा उक्त क्षेत्र किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा एवं इस क्षेत्र को वन भूमि के रूप में संरक्षित रखा जाएगा एवं उक्त क्षेत्र को किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग के पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति आवश्यक होगी। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव में सन्निहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को ‘वन स्वरूप’ क्षेत्र के रूप में संरक्षित कया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र के प्रबंधन हेतु, संबंधित कार्य योजना में उसे सम्मिलित किया जाएगा।
- अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
5. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
6. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों (4'') द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। राज्य वन विभाग इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जायेगी।
- 11- User agency shall deposit 5% of project cost with the Ridge Management Board Fund on the lines of condition imposed by Hon'ble Supreme Court of India in IA No. 1868 in W.P. (Civil) No. 202/1995 for conservation and development of Delhi Ridge Area.
- 12- As mentioned in the report of CEC the user agency has agreed to limit the forest clearance to 3 meters on either side of the ROW, accordingly the felling of tree should be minimized. Thus the felling of trees and clearing of undergrowth along the ROW will be limited to 3 meters each on either side of the ROW solely for the purpose of stringing of wires.
- 13- ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं Ridge Management Board द्वारा लगाए गए सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि आवश्यक हो तो भू-संरक्षण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाये जाएँगे।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
17. CEC द्वारा Application No. 1413 of 2017 में दिनांक 01.12.2017 द्वारा पारित आदेश में निहित समस्त परीक्षण एवं संस्तुतियों (observation & recommendation) का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
18. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)  
उप वन संरक्षक (के०)

## प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आरओएच०क्यू) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी, दिल्ली राज्य सरकार, वन एवं वन्यजीव विभाग, ए-ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली-110002
4. प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिणी वन प्रभाग, वन विभाग, दिल्ली।
5. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पॉरेशन इण्डिया लिंग, 765/400 के०वी० झटिकरां सब स्टेशन, ग्राम- घुम्मानेहरा, दक्षिणी-पश्चिमी, दिल्ली-110073
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली।

27/8/18  
(प्राची गंगवार)  
उप वन संरक्षक (के०)